

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 144]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 11, 1974/ज्येष्ठ 21, 1896

No. 144]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 11, 1974/JYAISTHA 21, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June 1974

G.S.R. 265(E).—The following Order made by the President is published for general informations :—

**THE DELIMITATION OF COUNCIL CONSTITUENCIES (UTTAR PRADESH)
AMENDMENT ORDER, 1974**

In exercise of the powers conferred by section 12 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950) the President, after consulting the Election Commission, is pleased to make the following Order further to amend the Delimitation of Council Constituencies (Uttar Pradesh) Order, 1951, namely :—

1. This Order may be called the Delimitation of Council Constituencies (Uttar Pradesh) Amendment Order, 1974.

2. In the Delimitation of Council Constituencies (Uttar Pradesh) Order, 1951, —

(a) in the Table below paragraph 2, for the existing entries relating to Serial No. 7 under "Graduates' Constituencies", Serial No. 7 under "Teachers' Constituencies" and Serial

No. 15 under "Local Authorities' Constituencies", the following entries shall be respectively substituted, namely :—

Name of Constituency	Extent of Constituency	Number of seats
1	2	3
<i>Graduates' Constituencies</i>		
"7. Kanpur-cum-Jhansi Graduates .	Jhansi, Lalitpur, Jalaun, Kanpur, Etawah and Unnao districts	1"
<i>Teachers, Constituencies</i>		
"7. Kanpur Teachers	Jhansi, Lalitpur, Jalaun, Kanpur, Etawah, Fatehpur, Banda and Hamirpur districts	1"
<i>Local Authorities' Constituencies</i>		
"15. Hamirpur-cum-Jhansi Local Authorities.	Hamirpur, Jhansi and Lalitpur districts	1";

(b) in paragraph 3, for the figures, letters and words "1st day of April, 1970", the figures, letters and words "1st day of June, 1974" shall be substituted.

V. V. GIRI,
President

[No.F. 7(4)/74-Leg. II]
K. K. SUNDARAM, Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 1974

सां० का० नि० 265 (अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

परिषद् निर्वाचन क्षेत्र (उत्तर प्रदेश) का परिसीमन संशोधन आदेश, 1974

राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् लोग प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् निर्वाचन क्षेत्र (उत्तर प्रदेश) परिसीमन आदेश, 1951 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. यह आदेश परिषद निर्वाचन-क्षेत्र (उत्तर प्रदेश) परिसीमन संशोधन आदेश, 1974 कहा जा सकेगा।

2. परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र (उत्तर प्रदेश) परिसीमन आदेश, 1951 में,—

(क) पैरा 2 के सीचे सारणी में, “स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र” के अधीन क्रम संख्या 7, “शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र” के अधीन क्रम संख्या 7 और “स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र” के अधीन क्रम संख्या 15 से संबंधित विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

निर्वाचन क्षेत्र का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार	स्थानों की संख्या
1	2	3
“7 कानपुर तथा झांसी के स्नातक	स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र झांसी, ललितपुर, आलीन, कानपुर, इटावा और उन्नाव जिले ।	1”
“7 कानपुर के शिक्षक	शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र झांसी, ललितपुर, आलीन, कानपुर, इटावा, फतहपुर, बांवा और हमीरपुर जिले	1”
	स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र	
“15 हमीरपुर तथा झांसी के स्थानीय प्राधिकारी	हमीरपुर, झांसी और ललितपुर जिले	1”

(ख) पैरा 3 में “अप्रैल, 1970 का पहला दिन,” अक्षरों और शब्दों के स्थान पर “जून, 1974 का पहला दिन” अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ?

बी० बी० गिरि,
राष्ट्रपति ।

[सं० फा० 7(4)/74-वि० II]

के० के० सुम्बरम्, सचिव ।

